(6) **अभिगोपन** (Underwriting)—सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गमन दलालों के माध्यम से नहीं किया जाता। इसलिए इनके अभिगोपण की आवश्यकता नहीं पड़ती।

5. जीवन बीमा (Life Insurance)

जीवन बीमा एक व्यक्ति तथा बीमा कम्पनी के मध्य एक अनुबन्ध है। इसमें जीवन के कुछ निश्चित वर्षों को बीमित किया जाता है। यह भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) द्वारा किया जाता है। जीवन बीमा को निवेश माना जाता है, क्योंकि

(i) यह जल्दी मृत्यु के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

(ii) इसका प्रयोग बैंक से अग्रिम एवं ऋण लेने के लिए किया जा सकता है।

(iii) यह कर लाभ मुहैया कराता है।

(iv) यह वह राशि है जो निश्चित अवधि के पश्चात् प्राप्त हो जाती है।

इसीलिए जीवन बीमा को विनियोग कहा जाता है क्योंकि इसमें सुरक्षा एवं विनियोग के तत्व निहित होते हैं।

जीवन बीमा पॉलिसी लेने की विधि (Procedure for taking Life Insurance Policy)

(i) बीमा पॉलिसी लेने के लिए एक साधारण फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें पॉलिसी का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, रिहायसी पता, पेशा, कार्य की प्रकृति, पिता का नाम, बीमारी का नाम (यदि है तो), पारिवारिक विवरण इत्यादि का वर्णन करना होता है।

(ii) चिकित्सा जाँच करवाना।

(iii) एजेण्ट की रिपोर्ट, उपर्युक्त (i) के बारे में।

(iv) प्रस्ताव की स्वीकृति—बीमा कम्पनी द्वारा।

(v) आयु प्रमाण-पत्र—नगर निगम रिकॉर्ड, नियोक्ता का प्रमाण-पत्र, स्कूल का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।

(vi) प्रीमियम का भुगतान—वार्षिक, छमाही, तिमाही।

(vii) पॉलिसी का निर्गमन—बीमा कम्पनी अपनी सन्तुष्टि के उपरान्त बीमा पॉलिसी का निर्गमन कर देती है।

जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार (Kinds of Life Insurance Policies)

(1) **पूर्णकालिक बीमा पॉलिसी** (Whole Life Policy)—यह पॉलिसी बीमित व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन के लिए होती है। बीमित की मृत्यु के पश्चात् ही बीमे की राशि का भुगतान होता है। यह भुगतान उसके उत्तराधिकारी अथवा नामित (Nominee) को किया जाता है। इसमें प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा जीवित रहने तक किया जाता है। इस पॉलिसी में दूसरी पॉलिसियों की तुलना में प्रीमियम की दर कम होती है।

(2) **बन्दोबस्ती पॉलिसी** (Endowment Policy)—विनियोग उद्देश्य के लिए यह पॉलिसी अति उत्तम है। इस पॉलिसी में निश्चित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। परिपक्व तिथि या दुर्घटना (मृत्यु) जो पहले हो, बीमित राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इस पॉलिसी में बचत, जीवन की सुरक्षा एवं कर लाभ जैसे तत्व निहित हैं।

(3) **जीवन मित्र पॉलिसी** (Jeevan Mitra Policy)—इस पॉलिसी में बीमित राशि का दोगुना भुगतान किया जाता है। यह भुगतान अवधि की समाप्ति अथवा मृत्यु की स्थिति में किया जाता है।

(4) **जीवन सरिता** (Jeevan Sarita)—यह पति-पत्नी के लिए संयुक्त पॉलिसी है। इसमें दावे का आंशिक भुगतान वार्षिकी के रूप में तथा शेष राशि का भुगतान नामित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद किया जाता है।

(5) **जीवन अक्षय** (Jeevan Akshay)—यह पॉलिसी 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। यह पेंशन तथा प्रत्याय की गारण्टी देती है।

(6) **जीवन आशा** (Jeevan Asha)—यह योजना स्वस्थ जीवनयापन के लिए है। यह पॉलिसी दुर्घटना लाभ देती है। परिपक्व तिथि पर बीमित राशि का भुगतान कर दिया जाता है। सर्जीकल इत्यादि के लिए 20-50 प्रतिशत (बीमित राशि का) प्रयोग किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(7) **बच्चों के लिए योजनाएँ** (Plans for Children)—बच्चों के लिए बहुत-सी योजनाएँ LIC ने जारी की हैं। जैसे—जीवन बाल्य (Jeevan Balya), जीवन किशोर (Jeevan Kishor), जीवन सुकन्या (Jeevan Sukanya) इत्यादि।

(8) **पेंशन योजना** (Pension Plan)—LIC ने पेंशन योजना भी शुरू की है। एक निश्चित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमित व्यक्ति को हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाती है।

जीवन बीमा पॉलिसी
(Life Insurance Policies)

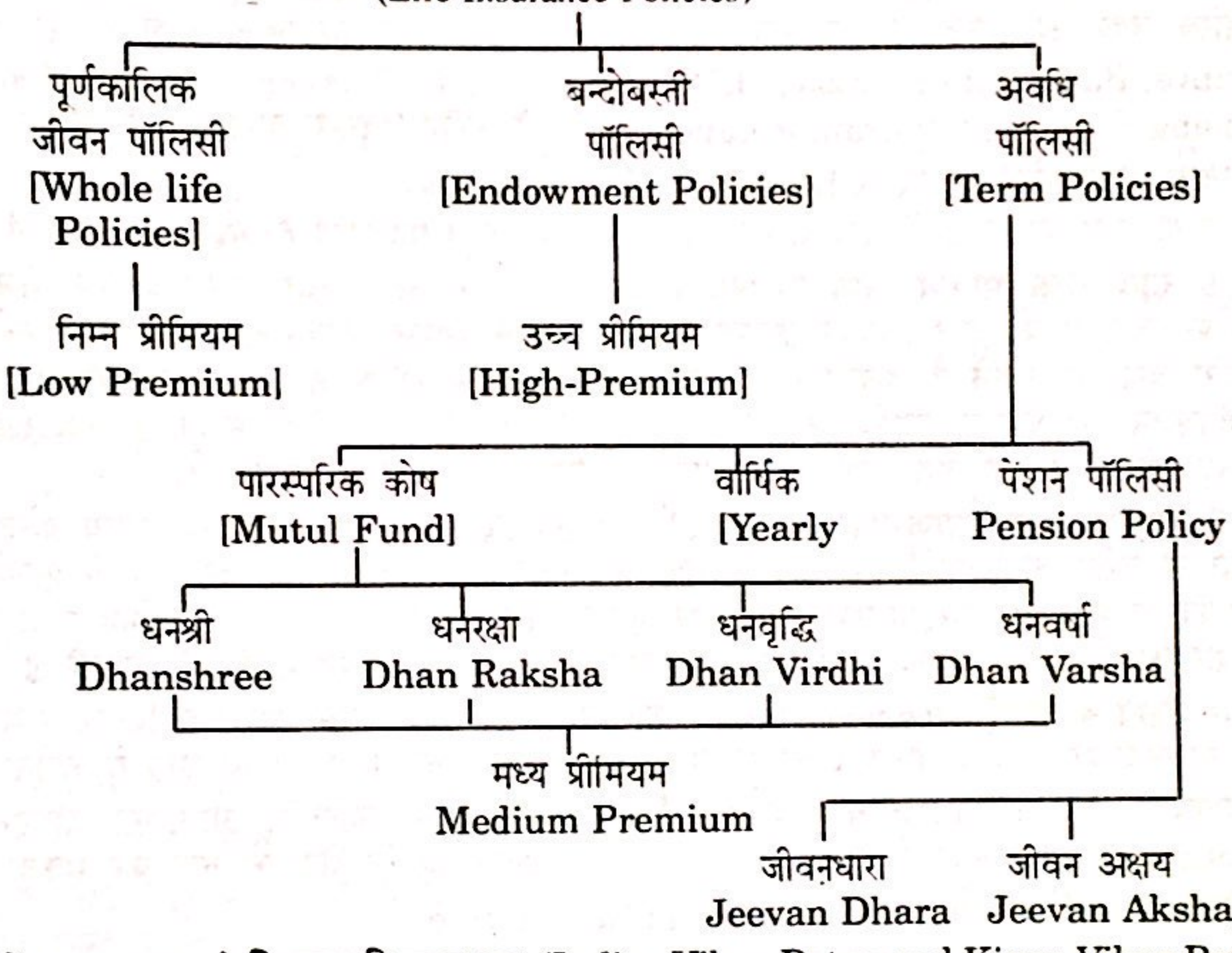

6. इन्दिरा विकास पत्र एवं किसान विकास पत्र (Indira Vikas Patra and Kisan Vikas Patra)

ये बचत पत्र डाकघर द्वारा जारी किये जाते हैं। ये 1,000, 5,000 तथा 10,000 रुपये के मूल्य वर्गों में जारी किए जाते हैं। इनमें विनियोजित पूँजी $5\frac{1}{2}$ वर्ष या 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ये बचत पत्र वाहक बॉण्ड की तरह ही होते हैं। इन्हें केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकता है।

अहस्तान्तरणीय प्रतिभूतियाँ
(Non-transferable Securities)
गैर-बेंचनीय प्रतिभूतियाँ
(Non-negotiable Securities)

जमा (Deposits)

जमा पर स्थायी प्रत्याय दर प्राप्त होती है। बैंक जमा भी स्थायी आय प्रतिभूतियों के समान है लेकिन इन्हें अहस्तान्तरणीय माना जाता है।

(i) **बैंक जमा** (Bank Deposits)—यह सबसे सरल एवं सुरक्षित विनियोग माध्यम है। निवेशक को बैंक में खाता खोलना होता है और उसमें मुद्रा जमा करनी होती है। बैंक में बचत खाता, चालू खाता एवं स्थायी जमा खाता खोला जा सकता है। चालू खाते पर कोई ब्याज नही मिलता। बचत खाते पर भी ब्याज दर कम होती है और इनकी ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा की वजह से बैंकों ने कई प्रकार के खाते तथा उनके साथ दी जाने वाली सेवाओं में काफी सुधार किया है। बैंक में जमा राशि सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसका नियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक निवेशकों को विभिन्न सुविधाएँ, जैसे—ए.टी.एम. (ATM) कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, चैक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, इत्यादि प्रदान करते हैं। कुछ बैंक निवेश सम्बन्धी सलाह भी देते हैं।

Scanned with CamScanner